>

Title: Demand to pay equal wages to the employees working in Nasha Mukti Hospitals/Kendras functioning in Haryana as per Fifth Pay Commission Report.

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): सभापति जी, समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरियाणा में पिछले दस वर्षों से नशा मुक्ति अस्पताल एवं नशा मुक्ति केन्द्र चलाया जा रहा है जिसका ९० प्रतिशत अनुदान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं १० प्रतिशत अनुदान राशि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी तथा बाल कल्याण परिषद द्वारा वहन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं। इन नशा मुक्ति केन्द्रों में कार्यरत उक्त स्टाफ का लगातार आर्थिक एवं सामाजिक शोषण किया जा रहा है। क्योंकि ये अधिकारी एवं कर्मचारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यताओं से परिपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह बराबर का अधिकार है। इनकी कुछ मांगें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूं और उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इन्हें कुल समेकित वेतन २२५० रुपये मासिक दिया जा रहा है जबकि इन्हें समेकित वेतन की बजाय उच्च शिक्षा एवं अनुभव को देखते हुए उचित वेतनमान दिया जाना चाहिए। नशामुक्ति केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को कोई भी सुविधा जैसे महंगाई भत्ता आदि नहीं मिलता।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : शून्य काल में सभी बातें प्रस्तुत नहीं की जातीं। अपना विषय रख दीजिए। विस्तार से एक एक बात मत बोलिये।

श्रीमती कैलाशो देवी : यह विषय ही है। सरकार को इसके बारे में बताना पड़ेगा। राज्य स्तर पर एक समान सेवा शर्तें निर्धारित करने का कष्ट किया जाए, केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ उन्हें दिया जाए। इन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारी पिछले दस वर्षों से अपनी समस्याओं के लिए संघर्षरत हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य प्रदेश सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों में इन अधिकारियों को पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)